

## कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर

कोलडिपो परिसर, पानीपेच झोटवाडा रोड, जयपुर

क्रमांक : एफ ( ) FCA/उवसवजी/2022-23/5393

दिनांक :- 28/10/22

निमित्त:-

अधिकाारी अभियन्ता,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
बस्सी, जयपुर

विषय:- वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण Widening and Strengthening of Mahngi to Dudhli Mod Via Bhawani, Bhawani Khurd, Saipur, Andhi, Sriramnagar, Virasna, Gaonli, Newal Maksundanpura, Chawandiya, District -Jaipur (Rajasthan) proposal no FP/RJ/ROAD/151862/2022 के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक SP/01 (Camp Jaipur) दिनांक 20.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है की उक्त विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा जारी EDS दिनांक 28.06.2022 के क्रम में आप द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर का अवलोकन किया गया। पार्ट-1 में अवलोकन उपरान्त प्रकरण में पुनः निम्न कमियां पाई गईं। अतः पाई गई कमियों की पूर्ति कर प्रत्युत्तर शीघ्र प्रस्तुत करें। ताकि तदानुसार पार्ट-2 की पूर्ति की जा सके।

1. Point no D के (a), में "existing road" के संबंध में आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर अनुसार "उक्त प्रचलित मार्ग पर 1980 से पूर्व डामरीकरण हो जाने के कारण Existing road माना जावे तथा अब नये सिरे से सम्पूर्ण सडक का वन भूमि डायवर्जन लिया जा रहा है।" के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु इस कार्यालय द्वारा बार-बार आपको लिखा जा रहा है की यदि सडक 1980 से पूर्व में निर्मित थी तो इस बाबत कोई दस्तावेज/प्रमाण उपलब्ध करावे। किन्तु आप द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। पुनः लेख है कि सडक निर्माण 1980 से पूर्व निर्मित थी बाबत सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा कोई विधिक साक्ष्य उपलब्ध करावे।
2. Point I में 1 के (a) and (b) wildlife clearance application के संबंध में प्रस्तावित रोड जममवारामगढ अभयारण्य क्षेत्र एवं ईको सेन्सिटिव जोन में दर्शायी गई है। Wildlife clearance के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में आपको अवगत कराया गया था। परन्तु अभी तक परिवेश पोर्टल पर इस कार्यालय की आई.डी पर उक्त प्रकरण दर्शा नहीं रहा है। अतः स्थिति स्पष्ट करें।
3. Point L में 4(c), 5 and 6, KML and Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS of total station, प्रकरण में वन भूमि प्रत्यावर्तन के बदले जो उपलब्ध कराई जा रही गैर वन भूमि की प्रस्तुत संशोधित KML में अब भी गैर वन भूमि का क्षेत्र वनभूमि पर Overlapping हो रहा है। अतः मौका निरीक्षण कर उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वन भूमि की संशोधित KML with GPS Co-ordinates सहित प्रस्तुत करें।

इस कार्यालय द्वारा आपको स्पष्ट रूप से तथा व्यक्तिशः समझाइश के उपरान्त भी हर बार प्रकरण में कमियां छोड़ी जा रही है, जिस कारण प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है जिसे उच्च कार्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा गंभीरता पूर्वक लिया जा रहा है। अतः लेख है कि प्रकरण में समस्त कमियों की पूर्ति कर वांछित दस्तावेज एवं सूचनाएं एक साथ प्रस्तुत करें। अन्यथा यह माना जावेगा की आप द्वारा उक्त प्रकरण में टालमटोल की निति अपनाई जा रही है, जिसके संबंध में आपके उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया जावेगा।

भवदीय  
  
 (सागर पवार, IFS)  
 उप वन संरक्षक  
 वन्यजीव जयपुर

क्रमांक : एफ ( ) FCA/उवसवजी/2022-23/

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
 उप वन संरक्षक  
 वन्यजीव जयपुर